फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2023/122

बअनवान मीना जितेन्द्र कुमार वगैरा बनाम भैरा वगैरा

वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

(प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10, 11 सीपीसी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
11/02/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 06, 07, 08 के द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 10 व 11 सीपीसी पेश कर वाद में वर्णित भूमि बाबत इस न्यायालय द्वारा पूर्व संस्थित वाद 38/2012 बअनवान सुमटी बनाम तलसा वगैरा में दिनांक 10.06.2019 को विभाजन की फाईनल डिक्री जारी होने तथा इस न्यायालय के निर्णय/डिक्री के विरूद्ध पक्षकारों द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के न्यायालय में अपील संख्या 54/2020 दायर करने तथा अपील लंबित होने से इस वाद की कार्यवाही को प्राङः न्याय के सिद्धांत के अनुसार रोके जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब अधिवक्ता वादी द्वारा नहीं देकर सीधी बहस करने से उभय पक्ष वकुलाय की प्रार्थना पत्र धारा 10 व 11 सीपीसी पर बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि वादीगण द्वारा ग्राम मालनू में स्थित भूमि खसरा नंबर 316, 317, 318, 319, 320, 321 कुल रकबा 5.58 हैक्टर के विभाजन के संबंध में हस्तगत प्रकरण पेश किया गया है। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुति के पूर्व दिनांक 15.05.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के न्यायालय में लंबित अपील संख्या 54/2020 में पारित आदेश की प्रति एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व राजस्व वाद 38/2012 अनवान सुमटी के कामु हरजी वगैरा बनाम तलसा वगैरा दिनांक 10.06.2019 को पारित फाईनल डिक्री की प्रति के अवलोकन से ज्ञात है कि ग्राम मालनू में स्थित भूमि खसरा नंबर 316, 317, 318, 319, 320, 321 कुल रकबा 5.58 हैक्टर के संबंध में पूर्व में विभाजन का वाद इस न्यायालय द्वारा अंतिम तौर से निर्णीत हो चुका है तथा उस निर्णय के विरूद्ध पूर्व निर्णीत राजस्व वाद में वर्णित प्रतिवादीगण तलसा पुत्र छोगाजी वगैरा द्वारा अपील भी प्रस्तुत कर दी है। जिस अपील के लंबित रहते हुये वादीगण द्वारा पुनः उसी भूमि के संबंध में विभाजन का वाद पेश किया है। जिस वाद को दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 10 व 11 के प्रावधान श्रवण की अनुमति प्रदान नहीं करते है। जिससे वादीगण का उक्त वाद रेसज्युडिकेटा के सिद्धांतों से बाधित होने से खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, पाली न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी पाली, जिला-पाली (राज.)	

CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. मीना जितेन्द्रकुमार पुत्र हरजीराम
2. शंकरलाल मीना पुत्र हरजीराम
3. मीना लक्ष्मीबेन पत्नी हरजीराम जातिगण मीणा निवासीगण मालनू तहसील बाली जिला पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. भेरा पुत्र चौपाजी
2. चादणा पत्नी बाबारामजी
3. प्रकाश कुमार पुत्र बाबारामजी
4. विनय कुमार पुत्र बाबारामजी
5. सुमटी पत्नी चौपारामजी फौत जिनके कायम मुकाम वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 लगाये 04 व वादीगण जातिगण मीणा निवासीगण मालनू तहसील बाली
6. तलसा पुत्र छोगाजी
7. सुरेश पुत्र छोगाजी
8. प्रभु पुत्र छोगाजी जातिगण मीणा निवासीगण मालनू तहसील बाली
9. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2023/122

वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ग्राम ग्राम मालनू में स्थित भूमि खसरा नंबर 316, 317, 318, 319, 320, 321 कुल रकबा 5.58 हैक्टर के संबंध में पूर्व में विभाजन का वाद इस न्यायालय द्वारा अंतिम तौर से निर्णीत हो चुका है तथा उस निर्णय के विरूद्ध पूर्व निर्णीत राजस्व वाद में वर्णित प्रतिवादीगण तलसा पुत्र छोगाजी वगैरा द्वारा अपील भी प्रस्तुत कर दी है। जिस अपील के लंबित रहते हुये वादीगण द्वारा पुनः उसी भूमि के संबंध में विभाजन का वाद पेश किया है। जिस वाद को दीवानी प्रकिया संहिता की धारा 10 व 11 के प्रावधान श्रवण की अनुमति प्रदान नहीं करते है। जिससे वादीगण का उक्त वाद रेसज्युडिकेटा के सिद्धांतों से बाधित होने से खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11-02-25 को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

CamScanner